कार्यालयः—आर्डनेन्स इक्विपमेन्ट फैक्ट्री प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि0 ,कानपुर

फूलबाग रजि0सं026/dt 23.09.1922,29.091972 Bank LIsence no UP0018P dt 26.04.2010

पत्रांकः:ओ0ई0एफ0 / पी0एस0बी0/intt/125/ Date:-30.08.2023

आदेश

प्रबन्ध कमेटी कि बैठक दिनांक-23.08.2023 के प्र०सं० (5) की स्वीकृति के क्रम में बैंक की समस्त जमयोजनाओं पर निम्नानुसार संशोधित ब्याज दरें, नियम व शर्तो के साथ दिनांक-01.09.2023 से लागू की जाती है |

1. **जमा योजना पर देय वार्षिक साधारण ब्याज की दर निम्नानुसार है |**

समय	सामान्य नागरिकों हेतु	वरिष्ठ नागरिकों हेतु
7 Days to 45 Days	3.00%	3.00%
46 Days to 179 Days	4.50%	4.50%
180 Days to 210 Days	5.00%	5.00%
211 Days to less than 1 year	5.50%	5.50%
1 Year to less than 2 years	7.10%	7.60%
2 Years to less than 3 years	7.15%	7.65%
3 Years and above	7.25%	7.75%
444 Days *	7.60%	7.65%
*** विशेष जमा पर साधारण ब्याज दर देय होगा | विशेष जमा योजना में जमा धन का समयपूर्व भुगतान नहीं किया जायेगा |**		

2– एफ०डी०आर०आई में सामान्य जमाकर्ताओं को न्यूनतम मु०10000/- जमा करने पर परिपक्वता अवधी पूर्ण होने के पश्चात निम्नानुसार धनराशि देय होगी | (ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्दि ब्याज लगाकर की जाएगी)

जमा धनराशि	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
10000.00	10729(7.29%)	11523(7.62%)	12405(8.02%)

3– एफ०डी०आर०आई में वरिष्ठ जमाकर्ताओं को न्यूनतम मु०10000/- जमा करने पर परिपक्वता अवधी पूर्ण होने के पश्चात निम्नानुसार धनराशि देय होगी | (ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्दि ब्याज लगाकर की जाएगी)

जमा धनराशि	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
10000.00	10782(7.82%)	11636(8.18%)	12589(8.63%)

4– मासिक जमा योजना पर न्यूनतम धनराशि मु०50000/- जमा करने पर निम्नानुसार ब्याज देय होगा | मासिक जमा योजना न्यूनतम तीन वर्षो के लिए होगी |

सामान्य जमाकर्ताओं हेतु - 7.25% **(मु०50000/- पर देय मासिक ब्याज मु०300/- निकटतम रु० में)**

वरिष्ठ नागरिकों हेतु - 7.75% **(मु०50000/- पर देय मासिक ब्याज मु०321/- निकटतम रु० में)**

5– आर०डी० जमा योजना पर न्यूनतम मु०100/- जमा करने पर परिपक्वता अवधी पर निम्नानुसार धनराशि ब्याज सहित देय होगी|

धनराशि	एक वर्ष के जमा पर	दो वर्ष के जमा पर	तीन वर्ष के जमा पर
100.00	1247.00	2586.00	4029.00
	7.10%	7.15%	7.25%

नियम व शर्ते :-

1. सभी जमाराशियों का भुगतान टी०डी०एस० की कटौती आयकर अधिनियम के अनुसार करने के पश्चात किया जायेगा |
2. समस्त जमयोजनाओं में दर्शायी गयी परिपक्वता धनराशि टी०डी०एस० कटौती के पूर्व दर्शायी गयी है | टी०डी०एस० की कटौती आयकर अधिनियम के अनुसार अर्जित/देय ब्याज पर की जाएगी |
3. टी०डी०एस० की कटौती में छुट प्राप्त करने हेतु पात्र जमाकर्ता द्वारा बैंक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिनांक-15 अप्रैल तक आयकर अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म 15G व 15H बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा टी०डी०एस० की कटौती आयकर अधिनियम के अनुसार कर ली जाएगी जिसकी जिम्मेदारी सम्बंधित जमाकर्ता की होगी |
4. ब्याज व टी०डी०एस० कटौती सम्बंधित दस्तावेज प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि पर बैंक से प्राप्त किया जा सकेगा |
5. मासिक जमा योजना में समय पूर्व भुगतान एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा |
6. एफ०डी०आर०आई०,एफ०डी०आर० एवं मासिक, जमायोजनाओं में समय से पूर्व भुगतान लेने पर पूर्ण हो चुके समय पर देय ब्याज की गणना वर्तमान में लागू ब्याज दर या जमा के समय लागू ब्याज दर, जो दोनों में कम होगी, उस पर 1 प्रतिशत की कटौती करके की जाएगी |
7. आर०डी० जमायोजना का समय पूर्व भुगतान 1 वर्ष के पश्चात किया जायेगा और एक वर्ष से पहले समय पूर्व भुगतान हेतु बैंक के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी | आर०डी० जमा योजना में 1 वर्ष से पहले समय पूर्व भुगतान लेने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा,बल्कि मु०15/- मात्र देय धनराशि में से बैंक द्वारा काट लिया जायेगा और एक वर्ष के पश्चात समय पूर्व भुगतान लेने पर भुगतान की तिथि पर बैंक में लागू बचत खाते की ब्याज दर के अनुसार ब्याज लगाकर, मु०15/- मात्र काटने के पश्चात भुगतान किया जायेगा |
8. आर०डी० जमायोजना की परिपक्वता होने के पश्चात किस्त जमा नहीं की जाएगी और जमाधन का भुगतान बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज लगाकर किया जायेगा |
9. आर०डी० जमा योजना की किस्त सम्बंधित माह में जमा न होने पर मु०1.50 प्रति सैकड़ा विलम्ब शुल्क के साथ जमा करना अनिवार्य होगा |
10. परिपक्वता तिथि के पूर्व पुनार्वियोग या स्वतः पुनार्वियोग हेतु बैंक में एक दिन पूर्व या जमा करने के समय सूचना देना अनिवार्य होगा | निर्धारित समय सीमा के पश्चात पुनार्वियोग परिपक्वता तिथि से नहीं किया जायेगा एवं परिपक्वता तिथि के पश्चात बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज लगाकर पुनार्वियोग या भुगतान किया जायेगा |
11. बचत खाते में न्यूतम जमाराशि मु०1000/- होगी तथा उस पर देय ब्याज की दर 2.70% वार्षिक होगी |
12. 7 दिन से पहले भुगतान लेने पर बैंक द्वारा किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं दिया जायेगा |
13. बैंक के वर्तमान,पूर्व व रिटायर कर्मचारियों को पूर्वानुसार 1वर्ष से कम के जमा पर 0.50% और 1 वर्ष से अधिक के जमा पर 0.75% अतिरिक्त ब्याज दिया जायेगा।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

1. का० लेखाकार, प्रभारी एवं सूचना पट |
2. उपाध्यक्ष एवं समस्त संचालक सदस्य, बैंक |

-sd-	-sd-
अध्यक्ष	**का०सचिव**
आर्डन्नेस इक्विपमेन्ट फैक्ट्री प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि0 कानपुर।	आर्डन्नेस इक्विपमेन्ट फैक्ट्री प्रारम्भिक सहकारी बैंक लि0 कानपुर।